



प्रारूप-26  
(नियम 4 देखिये)

5, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र देवबन्द उत्तर प्रदेश  
(सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा  
प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र)

भाग-क  
शपथ-पत्र

ब्यान हल्फी ओर से :- माविया अली पुत्र श्री चिराग साबिर आयु लगभग 43 वर्ष  
मौहल्ला दीवान देवबन्द जिला सहारनपुर।

मैं बहल्फ ब्यान करता हूँ कि-

(1)- मैं माविया अली पुत्र श्री चिराग साबिर आयु लगभग 43 वर्ष, जो मौहल्ला दीवान  
देवबन्द जिला सहारनपुर (डाक का पूरा पता लिखें) का निवासी हूँ। और उपरोक्त  
निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथने  
करता हूँ।

मैं इण्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खडा किया गया अभ्यर्थी हूँ।

(2)- मेरा नाम 5, विधान सभा देवबन्द उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में भाग संख्या 198  
में क्रम संख्या 24 पर प्रविष्ट है।

ब्यान करता

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

(3)– मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं० 01336–220719, मोबाईल नं० 9412496573 हैं।

(4)–स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आयकर विवरणी फाईल करने की प्रारिथति

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिये अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1	स्वयं माविया अली	नहीं	नहीं	नहीं
2	पत्नी जहीर फात्मा	नहीं	नहीं	नहीं
3	आश्रित-1 कु० मरियम अली (पुत्री)	नहीं	नहीं	नहीं
4	आश्रित-2 नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5	आश्रित-3 नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(5)– मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक से कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ। जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराधों का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।


(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नहीं
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी।	नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं।	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। (पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न) :-

समाप्त कर्ता 2

Handwritten signature



(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० देवबन्द जिला सहारनपुर वाद सं० 1162/2015 सरकार बनाम राजेन्द्र सिंह राणा आदि, संज्ञान दिनांक 22-06-2009
(ख)	उन मामलो के ब्यौरे जहां न्यायालय मे संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये संज्ञान लिया गया है।	न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० देवबन्द जिला सहारनपुर धारा 188/171च/353 आई०पी० सी० थाना देवबन्द।
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिये फाईल की गयी अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे।	नही

(6)- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) मे निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया है / नही ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास का दण्डादेश दिया गया है / नही दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उर्पयुक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

निम्नलिखित मामलो मे मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया है।

(क)	उन मामलो के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया।	वादी मुकदमा जियाउद्दीन अन्सारी को अपने साथियों सहित घर मे घुसकर मारपीट करने का आरोप धारा 147, 148, 323/149, 452 आई०पी०सी०
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	न्यायालय ए०एस०जे०/एफ०टी०सी० कोर्ट नम्बर 3 सहारनपुर एस०टी० नम्बर 507/2005 दिनांक 07-06-2007
(ग)	अधिरोपित दण्ड	धारा 147 मे 6 माह, 148 मे 1 साल, 323/149 मे 6 माह और 452 मे 4

		साल का सादा कारावास और 500/-रु जुर्माना।
(घ)	क्या सिद्ध दोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गयी थी/है। यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद क्रिमीनल अपील सं० 3939/2007 माविया अली बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० निर्णित दिनांक 18-12-2015, अपीलार्थी को एक साल के लिये सदाचारी बने रहने की परिविक्षा और वादी/चुटैल को दस हजार रूपये की क्षतिपूर्ति अदा करने के आदेश पर रिलीज।

(7)- मैं, मेरी पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

**(अ) जंगम आस्तियों के ब्यौरे :-**

- टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
- टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।
- टिप्पण 3- सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बन्धपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टाक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबिहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
- टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है, जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
- टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे और प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिये जाने हैं।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पत्नी जहीर फात्मा	आश्रित -1 का नाम पुत्री कु० मरियम अली	आश्रित -2 का नाम शून्य	आश्रित -3 का नाम शून्य
(i)	हाथ में नकदी	2,00,000/-	80,000/-	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

पहचान कतः

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

	जमा में रकम					
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बन्ध पत्रों, डिबेंचरों/षेयर्स तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पोलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिये गये व्यक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार, और मूल्य के ब्यौरे)	नहीं	10 तोले सोने के जेवरात कीमत लगभग 2,50,000/-	नहीं	नहीं	नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नहीं	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	2,00,000/-	3,30,000/-	नहीं	नहीं	नहीं

(ख) स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :-


टिप्पण 1-- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2-- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पत्नी जहीर फात्मा	आश्रित -1 का नाम पुत्री कु० मरियम अली	आश्रित -2 का नाम शून्य	आश्रित -3 का नाम शून्य
	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	खसरा नम्बर 3736, 3768, 3770 कुल रकबई 0.256हे०	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (एकड में कुल माप)	0.256हे०	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

5  
सर्वेक्षण कर्ता


Signature



(i)	क्या विरासत में आयी सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	स्वअर्जित	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	बैनामा दिनांकी 29-01-2005	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	60,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आयी सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आयी सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

पंजीयन क्र. 1

Handwritten signature



(iv)	क्या विरासत में आयी सम्पत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vi)	पूर्वोक्त (I) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	10,00,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-  
(टिप्पण कृपया बैंक संस्था, निकाय या व्याष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दे)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पत्नी जहीर फात्मा	आश्रित -1 का नाम पुत्री कु० मरियम अली	आश्रित -2 का नाम शून्य	आश्रित -3 का नाम शून्य
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्वों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य:	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सरकारी आवास में बरतने वाले विभागों को शोध्य					
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature and stamp]*

	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	आय-कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	धनकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सेवाकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	नगरपालिका/सम्पत्ति कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विक्रय कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लगभग 1000 X मासिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अर्न्तवलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लम्बित है, का वर्णन करे।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(9)- वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :-

क- स्वयं -- खेती

ख- पत्नी -- गृहणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :- मैंने व्यक्तिगत तौर पर इण्टरमीडिएट परीक्षा सन 1996 में इस्लामिया इण्टर कालेज देवबन्द जिला सहारनपुर सेंटर से पास की।

(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)

भाख-ख

(11)-- भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यौरो का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	माविया अली
2	डाक का पूरा पता	मकान नम्बर 403 मौहल्ला दीवान देवबन्द जिला सहारनपुर।
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	5 विधानसभा देवबन्द उत्तर प्रदेश
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है।	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
5	(i) ऐसे लम्बित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास के दंडनीय अपराधों के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	एक
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	एक
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उप धारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	एक
7	का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आय-कर विवरणी
		कुल दर्शित आय

*[Handwritten signature]*



			फाइल की गई है			
	(क) अभ्यर्थी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
	(ख) पत्नी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
	(ग) आश्रित	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे					
	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	2,00,000/-रु०	3,30,000/-रु०	नहीं	नहीं	नहीं
ख.	स्थावर आस्तियां					
	(i) स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii) क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	.....की		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(iii) अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता:- अभ्यर्थी ने व्यक्तिगत तौर पर इण्टरमीडिएट परीक्षा सन् 1996 में इस्लामिया इण्टर कालेज देवबन्द जिला सहारनपुर सेंटर से पास की। (प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)					

### सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तत्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे व मेरी पत्नी या मेरे आश्रित के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 25-01-2016 को देवबन्द जिला सहारनपुर में सत्यापित किया गया।

महबबुल्लाह अहमद  
अभिसाक्षी  
जिसके द्वारा यह शपथ पत्र  
सत्यापित किया गया है।  
मुझे यह पता है कि  
उपर्युक्त सत्यापन

महबबुल्लाह अहमद

महबबुल्लाह अहमद

27/1/16

अहमद